

सैंपक (धौलपुर) राज०

3/12/2005

उत्तर प्रदेश अधिग्रहण अधिनियम / राज्य
 वादी के जवाब PW-3 के बयान
 के अन्तर्गत लिखे गए पत्रों के
 उल्लेख किया है और यह कि वे पत्रों के
 अन्तर्गत वादी के अधिग्रहण
 अधिनियम के अन्तर्गत राज्य
 द्वारा अधिग्रहण के अधिनियम
 के अन्तर्गत राज्य के अधिनियम
 के अन्तर्गत राज्य के अधिनियम

सिविल न्यायाधीश
 सैंपक (धौलपुर) राज०

राज्य के अधिनियम
 अधिनियम
 132

CIN NUMBER


Court Name

Number of Case Year

Kind of Case Versus

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief
------	--	-------

3/12/2023	<p>अनुमाने 2 नव दंडर दोषक वकील सिद्धी पगरी वी। जो वकील वाने कायम जसिवादी में दिनांक 10/12/2023 को फेर, हा।</p>	
-----------	---	--


सिविल न्यायाधीश
 सैबक (धीलपुर) राज०